

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही


प्रार्थी/अपीलांत
श्री नारायणसिंह सोलंकी
निवासी राजपूत वास झाडौली
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 23/अप 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की समिल में जारी हुए
22.06.2023	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत झाडौली के समस्त बी.पी.एल. परिवारों की प्रमाणित सूची एवं उक्त परिवार किस उच्च अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उसका नाम, पद एवं पता की जानकारी एवं गलत अथवा फर्जी बी.पी.एल. कार्ड जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है, से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 24.02.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत झाडौली के समस्त बी.पी.एल. परिवारों की प्रमाणित सूची एवं उक्त परिवार किस उच्च अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आते हैं, उसका नाम, पद एवं पता की जानकारी एवं गलत अथवा फर्जी बी.पी.एल. कार्ड जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (डॉ. भवर लाल) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	

